भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2566
दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 / 28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

एनसीबी द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थ

†2566. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को अंतर्राष्ट्रीय माफिया की जानकारी है जिसने समुद्री मार्गों के माध्यम से देश में मादक पदार्थों के वितरण के लिए अपना नेटवर्क स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान एनसीबी और पत्तनों द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों की किस्म, मात्रा और मौद्रिक मूल्य का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं को पार करते समय राज्य-वार कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मादक पदार्थों की तस्करी और इसके वितरण में लगे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की नापाक गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है तथा इसे रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करता है। खुफिया जानकारी के आधार पर, एनसीबी ने अन्य ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज (डीएलईए) के साथ मिलकर समुद्री बंदरगाहों पर तलाशी और जब्ती की है। पिछले 5 वर्षों में बंदरगाहों पर एनसीबी द्वारा जब्त किये गये मादक पदार्थों का विवरण अनुलग्नक -I में है ।

******

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2566, दिनांक 19.12.2023

<u>अनुलग्नक -I</u>

<u>पिछले 5 वर्षों में बंदरगाहों पर एनसीबी द्वारा जब्ती का विवरण</u>

वर्ष	प्रतिबंधित सामान की जब्ती	मात्रा	राज्य	अनुमानित मूल्य*	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2018	कोई मामला दर्ज नहीं हुआ	-	-	-	-
2019	मेथामफेटामाइन	252 किग्रा	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (एनसीबी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल क्षेत्राधिकार के तहत)	201.6 करोड़	06 विदेशी
	केटामाइन	110 किग्रा	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (एनसीबी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल क्षेत्राधिकार के तहत)	11 करोड़	
	एटीएस और केटामाइन का मिश्रण	9.5 किग्रा	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (एनसीबी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल क्षेत्राधिकार के तहत)	गणना नहीं की जा सकी	
	मेथामफेटामाइन	1156 किग्रा	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (एनसीबी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल क्षेत्राधिकार के तहत)	924.8 करोड़	06 विदेशी
2020	हेरोइन	96 किग्रा	तमिलनाडु	192 करोड़	07 विदेशी
	एटीएस	18.325 किग्रा	तमिलनाडु	14.66 करोड़	
2021	हेरोइन	300 किग्रा	केरल	600 करोड़	06 विदेशी
	हेरोइन	337 किग्रा	केरल	674 करोड़	05 विदेशी
2022	चरस	528.7 किग्रा	गुजरात	13.22 करोड़	-
	एम्फ़ैटेमिन	221.1 किग्रा		176.88 करोड़	
	हेरोइन	13.3 किग्रा		26.6 करोड़	
	हेरोइन	200 किग्रा	केरल	400 करोड़	06 विदेशी
	गांजा	290.49 किग्रा	तमिलनाडु	1.45 करोड़	04 भारतीय
	हशीश तेल	1 किग्रा			

*अवैध मादक पदार्थों के मूल्य निर्धारण का कोई मानक तरीका नहीं है।

स्रोत: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

******